



Neutral Citation No - 2026:AHC:28219-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक विविध रिट याचिका संख्या - 2026 की 1416

जानू @ सुशान्त

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राहुल यादव, रविन्द्र कुमार

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. सर्वप्रथम, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह इंगित किया कि वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कतिपय धाराएँ जोड़ी गई हैं।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त तथ्यों का खण्डन नहीं कर सके, किन्तु उन्होंने यह कथन किया कि वे इस रिट याचिका को अनागृहीत रखना चाहते हैं तथा बेहतर विशिष्टियों सहित नवीन याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ इसे प्रत्याहृत करने की प्रार्थना करते हैं।

4. किए गए कथन के दृष्टिगत, यह रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता सहित प्रत्याहृत होने के कारण खारिज की जाती है।

5. सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो, नियमानुसार याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को प्रत्यर्पित कर दी जाए।

9 फरवरी, 2026

नदीम

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"